संख्या- 1/ 2017/ 523/ 18-2-2017-97(ल0उ0)/ 2016

प्रेषक

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी,,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2017

विषयः- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा आनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GeM) विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम (GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंण्ट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम-2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाया जाना संभव हुआ है।

2- सामग्री के क्रय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/ 2016/ 253/ 18-2-2016-3(SP)/ 2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)-2016 को प्रख्यापित किया है। इस मैनुअल के अध्याय-8, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत प्रस्तर-8.4 में सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है। प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार सामग्री क्रय हेतु ऐसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

किसी प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकती है जो क्रय के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप तथा जनहित में हो। यह उल्लेखनीय है कि यह मैनुअल केवल सामग्री के क्रय के लिए प्रभावी है तथा इसमें सेवाओं को लिए जाने की व्यवस्था नहीं है।

3- अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं की क्रय प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु प्रोक्योरमेंट मैनुअल के प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 की व्यवस्था के अंतर्गत सामग्री के क्रय तथा सेवाओं को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के General Financial Rules-2017 के नियम 149 में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की जा रही है:-

(1) जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, उन के लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।

(2) उपरोक्तवत् क्रय करने वाले विभागों अथवा संस्थाओं को क्रय किए जाने की दरों के उपयुक्त होने को प्रमाणित किया जाएगा।

(3) क्रय करने वाले सरकारी विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा जेम पोर्टल का उपयोग निम्नवत् किया जाएगा:-

(i) रू0 50,000 तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करता हो।

(ii) रू0 50,000 से अधिक और रू0 30,00,000 तक का क्रय जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्ति कर्ताओं में से सबसे कम मूल्य का सामान ऑफर कर रहा हो, परंतु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जाएगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हों। जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के टूल्स का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकेगा, अगर सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में निर्णय लेता है।

(iii) रू0 30 लाख से ऊपर के क्रय में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग कर इस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुए सबसे कम मूल्य ऑफर करता है।

(iv) ऑनलाइन बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन में आमंत्रण जेम पोर्टल पर उपलब्ध सभी वर्तमान विक्रेताओं अथवा अन्य पंजीकृत विक्रेताओं को उपलब्ध होगा, जो जेम की नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपना प्रस्ताव करते हैं।

[illegible] जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamSc

(v) उपरोक्त मौद्रिक सीमा केवल जेम के माध्यम से क्रय करने पर लागू होगी। अन्य विधि से क्रय करने पर पूर्ववत् मौद्रिक सीमा लागू रहेगी।

(vi) क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम क्रय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम क्रय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर मूल्यों के संबंध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने क्रय आदेश देंगे।

(vii) आवश्यकता को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर क्रय नहीं किया जाएगा।

(viii) संबंधित विभाग जेम पोर्टल के नियम एवं शर्तो के आधार पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिनिधानित करने हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

(ix) जेम पोर्टल के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग कार्यकारी निर्देश निर्गत कर सकेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये सभी संबंधित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/ 2017/ 523(1)/ 18-2-2017-97(ल0उ0)/ 2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

संख्या- 12/ 2017/ 540/ 18-2-2017-97(ल030)/ 2016

प्रेषक,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरप्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरप्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषय:- जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-11/ 2017/ 523/ 18-2-2017-97(ल030)/ 2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल को अंगीकार करते हुए इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस पोर्टल के उपयोग हेतु सभी विभागों/ संस्थाओं द्वारा प्राइमरी यूजर/ सेकेण्डरी यूजर (बायर/ कन्साइनी/ डी0डी0ओ0) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारियों को पदनाम से प्राधिकृत करना आवश्यक होगा। उक्त जेमपोर्टल gem.gov.in के मुख पृष्ठ पर ट्रेनिंग लिंक पर जाकर बिन्दु-2 पर जाकर ट्रेनिंग मटेरियल लिंक पर क्रय करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश दिये गये हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन दिशा-निर्देशों को डाउनलोड कर इसके अनुरूप अपने विभाग में शासकीय उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण कराने का कष्ट करें।

3- सुगमता के लिए पुनः संक्षेप में पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है:-

(i) समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों, संस्थानों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रमुख तथा उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्राइमरी यूजर बनाये जाने के आदेश निर्गत किये जाने होंगे। सुविधा हेतु मॉडल आदेश की प्रति संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(ii) तत्पश्चात् प्राइमरी यूजर द्वारा पोर्टल gem.gov.in पर sign up link पर जाकर स्वयं का पंजीकरण कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamSc

(iii) प्राइमरी यूजर द्वारा डिपार्टमेंट के फील्ड में अपने प्रशासकीय विभाग का नाम भरा जाएगा। यदि प्रशासकीय विभाग का नाम उपलब्ध नहीं है तो जेम पोर्टल पर सपोर्ट डेस्क को अवगत कराया जाए तथा उसकी एक प्रति इस विभाग को प्रेषित की जाएगी। तत्पश्चात ऑर्गेनाइजेशन के नाम में अपने विभाग अथवा संस्थान का नाम भरा जाएगा।

(iv) प्राइमरी यूजर के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्न सूचना की आवश्यकता होगी:

a. आधार नम्बर
b. आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
c. सरकारी ई-मेल आई.डी. (nic.in/ gov.in) डोमेन पर (यह आई0डी0 यथा सम्भव पद नाम से होना श्रेयस्कर है)।

(v) एकरूपता के लिए विभागाध्यक्ष/ संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेलआई0डी0 का अकाउंटनेम/ यूजरनेम (@ से पूर्वका भाग) यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाए।

(vi) शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।

(vii) जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेथड में शासकीय विभागों द्वारा Others तथा पुनः नीचे के कॉलम में Others को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।

(viii) प्राइमरी यूजर्स के सत्यापन का कार्य सत्यापन (Verifying) अधिकारी विभाग के अधिकारी के रूप में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा किया जाएगा।

(viii) इस प्रकार प्राइमरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/ अधिकारियों (जहाँ भी सामग्री सेवा के क्रय एवं भुगतान की कार्यवाही निष्पादित की जाती है) को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में क्रेता (बायर), आपूर्ति प्राप्तकर्ता (कंसाइनी) अथवा भुगतानकर्ता की भूमिका में पंजीकृत किया जाएगा।

(ix) प्राइमरी यूजर्स द्वारा सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण हेतु उनके ई-मेल (सरकारी) तथा मोबाइल नंबर (आधार पंजीकृत) की जानकारी होना आवश्यक है।

(x) यहां सेकेंडरी यूजर्स के लिए भी एकरूपता के लिए ई-मेल के यूज़र नेम/ अकाउंटनेम @ से पूर्व के अंश को user id बनाया जा सकता है।

4- उपरोक्तवत् विभाग के अधिकारियों के प्राइमरी यूजर्स एवं सेकेण्डरी यूजर्स के पंजीकरण के उपरांत विभाग द्वारा जेम पोर्टल से क्रय की कार्यवाही की जा सकती है। सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं को प्राप्त करने से पूर्व सक्षम स्तर से क्रय का आवश्यक अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाएगा तथा धनराशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

Scanned with CamSc

5- जब तक प्रदेश में कोषागार व्यवस्था के जेम पोर्टल से इंण्टीग्रेशन की व्यवस्था की जा रही है, विभाग द्वारा पंजीकरण कराते हुए भुगतान मेथड के बिन्दु-3 पर अंकित Others को चयनित किया जाए। साथ ही सभी उपयोगकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि जेम की शर्तों के अनुसार आपूर्ति के 48 घंटे के भीतर Privissional Receipt Certificate (PRC), आपूर्ति के दिनांक से 10 दिन के अन्दर संतोषजनक आपूर्ति के प्रमाण-पत्र Concignee's Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) तथा उसके पश्चात् निर्धारित 10 दिन की समयावधि में भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या- 12/ 2017/ 540(1)/ 18-2-2017 तद्दिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरप्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2.
संख्या- 13/ 2017/ 541 /18-2-2017-97(ल0उ0)/2016
लखनऊ:: दिनांक 25 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

भारत सरकार द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शासनादेश संख्या-11/ 2017/ 523/ 18-2-2017-97(ल0उ0)/ 2016 दिनांक 23 अगस्तर2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टलको उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरीयूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है:

Sr. No.	Role	Designation	Name of Organization
1.	Primary User	आयुक्त एवं निदेशक	उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
	Primary User	आयुक्त	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
	Primary User	निदेशक	उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान लखनऊ।
	Primary User	प्रबन्धनिदेशक	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर।
	Primary User	प्रबन्धनिदेशक	उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ।
	Primary User	निदेशक	उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
2.	Verifying Officer	प्रमुख सचिव Email: psec.msme-up@gov.in	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. उपरोक्त प्राइमरी यूजर GeM (http://gem.gov.in/auth/register) पर पंजीकरण करा लेंगे।

3. यदि एक अधिकारी उपरोक्त वत्दोया अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थानों में वे अपने अधीन स्थवरिष्ठतम अधिकारी को उस ऑर्गेनाईजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।

4. प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:-

- आधार नम्बर
- आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
- सरकारीई-मेल आई0डी0 (nic.in/ gov.in domain पर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

5. एक रूपता के लिए विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख द्वारा उक्तमेल आई0डी0 का अकाउंट नेम/ यूजरनेम (@ सेपूर्वकाभाग) यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाए।

6. शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अत: बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाएं। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।

7. जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेंथड में शासकीय विभागों द्वारा Others तथा पुन: नीचे के कॉलम में Others को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वाराइंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।

8.प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी किस भी सेकेण्ड़री यूजर्स जेमपोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग कर सके।

9. सभी उपयोग कर्ता जेमपोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेमपोर्टल का उपयोग करें।

(अनिलकुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश, डिजाइन संस्थान, लखनऊ।
5. प्रबंधक, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन निगम लि0, लखनऊ ।
7. निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

संलग्नक-2

प्रारूप

2. भारत सरकार द्वारा ई.प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में गवमेंट ई-मार्केटप्लेस, (GeM) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्यसरकार द्वारा इस पोर्टलको शासनादेशसंख्या- 11/ 2017/ 523/ 18-2-2017-97(ल0उ0)/ 2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टल का उपयोग हेतु उपयोगकर्ता (यूजर्स) के रूप में में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है :-

Sr No.	Role	Designation
1.	Secondary User**	
	• Buyer(S)	i) ii) ……
	• Consigness(S)	i) ii) ……
	• DDO(S)	i) ii) ……

2. उपरोक्त सेकण्डरी यूजर GeM (http://gem.gov.in/auth/register) पर पंजीकरण करा लेंगे। प्राइमरी यूजर द्वारा इन्हे सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में विभिन्न Roles में पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

3. जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:

- आधार नम्बर
- आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
- सरकारी ई-मेल आई0डी0 (nic.in/ gov.in) domain

5.सभी उपयोग कर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेम पोर्टल का उपयोग करें।

भवदीय,

विभागाध्यक्ष पदनाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

संख्या-21/2017/704/18-2-2017-97(ल030)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 नवम्बर, 2017

विषय- जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/ 523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेम पोर्टल से सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु नोडल विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग) द्वारा एक जेम स्टेट पूल एकाउन्ट निम्न शर्तों के अधीन खोले जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) यह एकाउण्ट जेम से सम्बद्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा खोला जायेगा।

(2) उक्त खाता बचत बैंक खाता होगा।

(3) इस खाते से किसी भी प्रकार का आहरण नहीं किया जा सकेगा।

(4) जेम के माध्यम से क्रय किये जाने या आपूर्ति का भुगतान किये जाने हेतु क्रेता द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व आपूर्ति के बराबर मूल्य की सम्भावित धनराशि जेम पूल एकाउन्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार से आहरित करके जमा की जायेगी।

(5) जेम की शर्तों के अनुसार जेम पोर्टल से सामग्री/सेवायें प्राप्तकर्ता द्वारा 48 घंटे के अन्दर प्राविजनल रिसीप्ट सर्टिफिकेट (पी0आर0सी) निर्गत किया जायेगा। संतोषजनक सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के उपरान्त प्राप्तकर्ता द्वारा 10 दिन के अन्दर कन्साइनी रिसीप्ट एण्ड एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट (**Consignee's Recept & Acceptance Cerificate**) निर्गत किया जायेगा। इसके पश्चात् जेम की शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि में क्रेता विभाग द्वारा उक्त जेम पूल एकाउन्ट से धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया जायेगा, अन्यथा जेम की शर्तों के अनुरूप आपूर्तिकर्ता को इस एकाउन्ट से उक्त समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त स्वतः भुगतान हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nlc.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) संबंधित जेम एसोशिएटेड बैंक द्वारा प्रत्येक क्रेता विभाग हेतु एक नेशनल चाईल्ड एकाउन्ट खोला जायेगा, जिसे प्रत्येक बिड/क्रय हेतु यूनिक नम्बर के माध्यम से जेम पोर्टल द्वारा लिंक किया जायेगा।

(7) क्रय प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त बैंकर प्रत्येक चाईल्ड एकाउन्ट हेतु एक एम०आई०एस० रिपोर्ट जनरेट करेगा एवं जेम के माध्यम से क्रेता इस एम०आई०एस० रिपोर्ट को अवलोकित कर सकेगा तथा भुगतान की गयी धनराशि एवं यदि कोई धनराशि अवशेष है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

(8) यदि क्रय के उपरान्त जेम पूल एकाउन्ट में कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस अवशेष धनराशि का प्रयोग क्रेता विभाग द्वारा उसी प्रकार के कार्य हेतु पुनः आगामी क्रय हेतु किया जा सकेगा। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि जिस अनुदान संख्या से जिस 15 डिजिट लेखाशीर्ष के माध्यम से धनराशि जेम पूल एकाउन्ट में स्थानान्तरित की गयी हो, उसी 15 डिजिट लेखाशीर्ष से संबंधित दूसरी खरीद हेतु अवशेष धनराशि का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अवशेष धनराशि का समायोजन करते हुये आगामी क्रय हेतु वांछित अतिरिक्त धनराशि ही ऐसी स्थिति में जेम पूल एकाउन्ट में क्रेता विभाग द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे 15 डिजिट लेखाशीर्ष के लिये वांछित धनराशि का प्रयोग पूर्व में अवशेष धनराशि से नहीं किया जायेगा। यदि बची हुई धनराशि का प्रयोग क्रेता विभाग द्वारा आगामी क्रय में नहीं किया जाना है तो अवशेष बची धनराशि को तुरन्त जेम पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित प्राप्त लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जायेगा।

(9) यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार से आहरण कर अवशेष धनराशि जेम पूल एकाउन्ट में जमा कर दी जायेगी।

(10) प्रत्येक क्रेता विभाग के आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जेम पूल एकाउन्ट में स्थानान्तरित की गयी धनराशि का समायोजन पूर्ण रूप से हो जाय, यदि वर्ष के अन्त में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे राज्य के निर्धारित प्राप्त लेखाशीर्ष में जेम के माध्यम से जमा कराने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(11) उपरोक्तानुसार जेम एसोशिएटेड बैंक में स्थानान्तरित की गयी धनराशि पर नियंत्रण रखने/उसका सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में निर्धारित वित्तीय नियम प्रभावी होंगे।

(12) वर्ष के अन्त में उक्त जेम पूल एकाउन्ट में ब्याज के रूप में अर्जित की गयी धनराशि को राजकोष में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जायेगा। ब्याज के रूप में अर्जित इस धनराशि को जेम के माध्यम से सुसंगत लेखाशीर्ष में राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व संबंधित क्रेता विभाग का होगा।

(13) स्टेट जेम पूल एकाउण्ट में फण्डिंग का उत्तरदायित्व क्रेता विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जो धनराशि पूल एकाउण्ट में जमा की है वह एकाउण्ट से मेल खा रही अथवा नहीं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग पूल एकाउण्ट में फण्डिंग एवं आंकड़ों के मिलान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित क्रेता विभाग का होगा।

(14) यह समस्त प्रक्रिया जेम द्वारा निर्गत संलग्न एस०ओ०पी० (Standard Operating Procedure) के प्राविधानों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-एफए-1-369/दस/2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2017/704(1)/18-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तर प्रदेश ।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
9- भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ।
10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

Scanned with CamSc

उत्तर प्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2

संख्या-19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016

लखनऊ:दिनांक: 28 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु जेम के तकनीकी अधिकारियों की एक सेल का गठन किया गया है जिसमें सम्मिलित तकनीकी अधिकारियों का सम्पर्क विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	नाम व पद नाम	मोबाइल नम्बर	ई-मेल
1	श्री प्रवीण बाधवानी, कन्सलटेन्ट	8090482904	praveen.badhwani@intellectdesign.com
2	श्री संजय डहरिया, रीजनल मैनेजर	7987704212	sanjai.deharia@intellectdesign.com

3- अवगत कराना है कि उक्त सेल का कार्यालय, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, कैसरबाग, लखनऊ में होगा।

अनिल कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ विभागों/संस्थानों/निगमों/उपक्रमों के संबंधित अधिकारियों को उक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।

5- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

7- संबंधित तकनीकी अधिकारी, जेम।

8- अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, कैसरबाग, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत:इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

संख्या-13/2018/203/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 27 अप्रैल, 2018

विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं-

क्र0स0	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक
1	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किए जाने के संबंध में	11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	23 अगस्त, 2017
2	शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में	12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	25 अगस्त, 2017

Scanned with CamSc

3	जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में	21/2017/704/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	30 नवम्बर, 2017
4	जेम (GeM) पर शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु जेम सेल का गठन	19/2017/836/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016	28 नवम्बर, 2017

उक्त समस्त संदर्भगत शासनादेश शासकीय वेबसाइट **shasandesh.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उच्च स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सामग्री/सेवायें क्रय नहीं की जा रही है। यह भी संज्ञान में आया है कि इनमें कई विभाग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा जेम से क्रय करना तो दूर, उनके द्वारा जेम पोर्टल पर अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है। वर्तमान में प्रदेश में मात्र 979 प्रायमरी एवं 3567 सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

3- अवगत कराना है कि प्रदेश में कुल 11056 नामित आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं। इन आहरण वितरण अधिकारियों से संबंधित कम से कम एक कार्यालय अवश्य है। उक्त कार्यालयों द्वारा किये जा रहे क्रय का भुगतान कोई अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारी नहीं कर सकता है, अर्थात प्रदेश में कम से कम 11056 कार्यालयों में क्रय हेतु जेम पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक है। जेम प्रणाली के अन्तर्गत एक क्रय केन्द्र पर 03 व्यक्तियों की भूमिका होती है-बायर, कन्साइनी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी/भुगतान प्राधिकर्ता। इनमें बायर एवं कन्साइनी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं परन्तु आरहण एवं वितरण अधिकारी उससे भिन्न व्यक्ति होता है। अतः प्रत्येक क्रय केन्द्र के सापेक्ष कम से कम दो पंजीयन होने से ही समस्त कार्यालयों में जेम के आच्छादन को पूर्ण माना जा सकता है।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों के संबंधित प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के सापेक्ष कम से कम दो यूजर (प्रायमरी या सेकेण्डरी) का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करते हुये जेम पोर्टल से ही आवश्यक सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं अपने विभाग से **संबंधित जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रायमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर की सूचना प्रारूप-1 पर संकलित करते हुये** गत माह की 25 तारीख से चालू माह की 24 तक **की सूचना प्रारूप-2 पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम** तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को चालू माह की अंतिम तारीख तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित जेम सेल के कार्मिकों का विवरण उनके ई-मेल/मोबाइल नम्बर तथा उन्हें आवंटित विभागों की सूची संलग्न है। जेम पोर्टल पर कार्य करने में आने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु आप अपने विभाग के समक्ष अंकित अधिकारी से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जेम पोर्टल पर क्रय

Scanned with CamSc

के संबंध में शासन स्तर के नोडल अधिकारी, श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से उनके कार्यालय दूरभाष संख्या-0522-2239284 एवं मोबाइल नम्बर-9456922200 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या-13/2018/203(1)/18-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तर प्रदेश ।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
9- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
10- भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ।
11- प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त विभागों के प्रायमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर की संकलित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रवीश गुप्ता)
विशेष सचिव।

Scanned with CamSc

प्रेषक

संख्या-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी,,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2017

विषयः- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित आनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GeM) अंगीकार किया गया है। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं उसके क्रियान्वयन एवं जेम ~~पर~~ पंजीकरण हेतु शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 निर्गत किये गये हैं, जो शासकीय शासनादेश वेबसाइट shasanadesh.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

2- यह स्वतः स्पष्ट ही है कि जेम पर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं सेवाओं की उपलब्धता अधिकाधिक संतोषजनक आपूर्तिकर्ताओं के जेम पर पंजीकरण तथा उनके मध्य स्वस्थ प्रतिपस्पर्द्धा से ही सम्भव है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में आपके विभागों द्वारा जिन आपूर्तिकताओं से सामग्री एवं सेवाओं का क्रय किया जा रहा है, उनका यथापेक्षित परीक्षण कराकर उन्हें जेम (GeM) पोर्टल पर पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें, जिससे कि जेम (GeM) पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं सेवा की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc

प्रेषक,

संख्या-23/2017/991/18-2-2017-97(ल030)/2016

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017

विषय- जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/ 523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-21/2017/704/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 30-11-2017 द्वारा जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने के संबंध में निर्देश किये गये हैं। यह स्टेट जेम पूल एकाउण्ट शासनादेश दिनांक 30-11-2017 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा खोला जाना है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेम पोर्टल से सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु स्टेट जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने विषयक संदर्भगत शासनादेश दिनांक 30-11-2017 में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन जेम पूल एकाउण्ट खोले जाने एवं उसके संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, उद्योग से अनिम्न अधिकारी को नामित करते हुये भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ में खोला जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से एक सप्ताह में अवगत करायें।

3- संदर्भगत शासनादेश दिनांक 30-11-2017 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-एफ0ए-1-421/दस/2017, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2017/991(1)/18-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamSc